**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2619**

**उत्तर देने की तारीख : 22.12.2022**

**एमएसएमई को आने वाली समस्याएं**

**2619. सुश्री देबाश्री चौधरी :**
**श्रीमती पूनम महाजन :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को निर्यात के संदर्भ में विनियामक एजेंसियों की विनियामक शर्तों को पूरा तथा वैज्ञानिक प्रश्नों का समाधान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी सेवा प्रदाता कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि निर्यात बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

(क) **:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को निर्यात के संबंध में नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई से संबन्धित और नियामक एजेंसियों से वैज्ञानिक प्रश्नों के बारे में कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसी भी कंपनी को नियामक आवश्यकताओं के लिए सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा निर्यात हेतु बाजारों के संवर्धन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. **आयात प्रतिस्थापन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बैंक का विकास -** एमएसएमई जो अपनी इकाइयों में आयात प्रतिस्थापना उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए इकाई की स्थापना/विविधिकरण करने के इच्छुक हैं को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय ने डीपीआर तैयार की हैं। प्रथम चरण में, एमएसई से विशेष खरीद के लिए विशेष रूप से संरक्षित मदों के आयात को कम करने हेतु 45 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं। ये डीपीआर विकास आयुक्त-एमएसएमई की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं।

**2. निर्यात संवर्धन/स्वदेशीकरण सहायता के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों का समूह-** एमएसएमई मंत्रालय की प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्फूर्ति, जेड, इंक्यूबेटर, लीन, डिजिटल एमएसएमई, आईपीआर, खरीद और विपणन सहयोग स्कीम (पीएमएस) आदि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएसएमई को सहायता कर रही हैं।

3. **निर्यात से संबंधित परीक्षण के लिए सुविधा -** एमएसएमई परीक्षण केन्द्रों, एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों तथा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों पर अंतर्राष्ट्रीय, बीआईएस तथा अन्य राष्ट्रीय मानकों की अनिवार्य निर्यात से संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप एमएसएमई हेतु परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। एमएसएमई-परीक्षण केन्द्र एनएबीएल प्रत्यापित केन्द्र है। एमएसई-सीडीपी के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र भी परीक्षण सुविधा के लिए प्रावधान रखने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधा के उपयोग के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित किया जाता है।

4. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम**- एमएसएमई मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उपक्रम व्यवस्था आदि के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में एमएसएमई का दौरा/उनकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के पात्र संगठनों तथा उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जून, 2022 में शुरू की गई आईसी स्कीम के नए घटक नामत:, पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों को क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) के अंतर्गत में पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) निर्यात के लिए ईपीसी, निर्यात इंश्योरेंस प्रीमियम तथा निर्यात हेतु टेस्टिंग एंड क्वालिटी प्रमाणन पर किए गए व्यय के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। आईसी स्कीम के अंतर्गत ये इंटरवेंशन एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

*****